



प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान

ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 03.08.2026

विषय:- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के गैर-वेतन मद की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-रा.अ.स./वित्त/2026-27/202, दिनांक-24.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-शिक्षा 0371 चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 4500.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 1125.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-शिक्षा 0371-चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपए 45,00,00,000/- (रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 11,25,000.00/- (रुपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,25,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050371** चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-47/दस-2026-27 दिनांक 13-07-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 30प्र0 शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग 30प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।